बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि 5 जुलाई, 1982 ई०

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—अ2, अ14, 717, 718, 719, 720 721, 723, 724, 767, 786 एवं 787।	1—28
परिशिष्ट—(प्रश्नों के लिखित उत्तर)—तारांकित प्रश्नोत्तरों की संख्या—725, 728, 737, 739, 740, 742, 743, 745, 757, 760, 761, 764, 765, 766, 773, 780, 785 एवं 789।	29—48
दैनिक निबंध	49

टिप्पणी—किन्हीं माननीय मंत्री एवं सदस्यों ने अपने भाषण के संशोधन नहीं दिये।

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—(1) उत्तर नकारात्मक है। इस सम्बन्ध में कोई घटना थाना पर प्रतिवेदित नहीं हुई और न कोई सनहा या प्राथमिकी उक्त व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराई गई।

(2) खण्ड (1) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

कुमारी विनिता का अपहरण

766 श्री टीका राम मांझी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 13 मई 1982 को सिंहभूम जिला के घाटशिला थानान्तर्गत बरबुडीह गांव के कुमारी विनिता नामक एक नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसके साथ सुवर्णरेखा परियोजना के एक ड्राईवर ने बलात्कार किया है जिसको लेकर स्थानीय लोगों में अत्यन्त क्षोभ प्राप्त है।

(2) क्या यह बात सही है कि इसकी सूचना पुलिस को तत्काल दी गयी है परन्तु पुलिस अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतायेगी कि अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कौन-सी कार्रवाई अबतक की है नहीं तो क्यों ?

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—(1) उत्तर नकारात्मक है।

(2) यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में सूचना पुलिस को दिनांक 19 मई 1982 को कथित घटना के छः दिन बाद दी गयी। आरोप में सुवर्णरेखा नहर परियोजना के सिर्फ चालक ही नहीं बल्कि तीन अन्य कनीय अभियंताओं के विरुद्ध आरोप तत्काल इसकी जांच की गयी और घटना को प्रेरित और असत्य पाया गया था। अतः गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) काण्ड असत्य पाया गया। अतः गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता है।

अभियुक्तों पर कार्रवाई

773 श्री काली प्रसाद पाण्डेय—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज थाना के मिझेरवा गांव में मनोराम कठपुतली के साथ इनसान मियां, नित्यानन्द तिवारी एवं अन्य 3 व्यक्तियों ने बलात्कार किया ;

(2) क्या यह बात सही है कि मनोरमा कठपुतली ने गोपालगंज थाना मुकदमा नं० 76 (ड) 82, दिनांक 27 मई 1982 द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी ;

(3) यह बात सही है कि अभीतक अभियुक्तों पर पुलिस/प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है जिससे इस क्षेत्र में भय व्याप्त है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभियुक्तों पर उचित कार्रवाई करना चाहती है ?

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—(1) दिनांक 26 मई 1982 को करीब 11.30 बजे रात्रि में इस काण्ड के अभियुक्त (1) नित्यानन्द तिवारी, (2) माधव साह, (3) राम प्रसाद कानू, (4) राधो साह, (5) विश्वनाथ कानू, (6) ज्ञान चौधरी, (7) सिंहासन तेली, (8) मुंशी चौधरी ने अविवाहिता मनोरमा कुमारी को अपने घर के बरामदे से घसीट कर गांव के बगीचे में ले जाकर निर्दयतापूर्वक नित्यानन्द तिवारी, राम प्रसाद एवं राधो साह ने बलात्कार किया, वादनी तथा गवाहों द्वारा इनसान मियां का नाम नहीं बताया गया है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) यह बात सही नहीं है कि अभियुक्तों पर अभीतक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, घटना की सूचना मिलते ही काण्ड दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई है और अभियुक्त नित्यानन्द तिवारी, माधो साह, विश्वनाथ साह, ज्ञान चौधरी, मुन्नी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बाकी तीन अभियुक्त राम प्रसाद, राधो साह, सिंहासन साह के विरुद्ध जप्ती-कुर्की की गई और बाद में ये लोग न्यायालय में आत्मसमर्पण

कर दिये । उक्त सभी अभियुक्त अभी भी जेल में हैं तथा इनलोगों के विरुद्ध 107 द० प्र० सं० की भी कार्रवाई की जा चुकी है ।

(4) काण्ड के सभी अभियुक्त जेल में हैं तथा काण्ड अनुसंधानान्तर्गत है ।

ट्रेन एवं बस में डकैती

780 श्री पीताम्बर पासवान—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1982 से अप्रील, 1982 तक कितनी ट्रेन एवं बस डकैतियां राज्य में हुई और उसकी रोक-थाम के लिये सरकार ने कौन-सा कारगर कदम उठाया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ मिश्र—बिहार राज्य में दिनांक 1 जनवरी 1982 से 30 अप्रील, 1982 के बीच 12 रेल डकैतियां रेलवे क्षेत्र से एवं 20 बस डकैतियां पूरे राज्य से प्रतिवेदित हुई हैं ।

रेल अपराध निरोध की रोक-थाम के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष कदम उठाये गये हैं जो निम्नांकित हैं:—

(*i*) रेल जी० आर० पी० के बल की वृद्धि बड़े पैमाने पर की गयी है और इसमें 18 थाने तथा 7 सर्किल भी सृजित किये गये हैं ।

(*ii*) जब भी किसी क्षेत्र में डकैती या ट्रेन को रोककर अपराध करने की सूचना मिलती है तो ऐसे मामलों को विशेष सतर्कतापूर्वक जांचकर पर्यवेक्षण करायी जाती है ताकि फिर ऐसी घटना न हो ।

(*iii*) अपराध के मामलों को तीव्रतापूर्वक जांच करने एवं उनके निस्तार करने हेतु आदेश दे दिया गया है । साथ ही साथ जिन मामलों में बहुतों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया गया है उनके मामले को कोर्ट द्वारा शीघ्र निस्तार करने का प्रयास किया जाता है ।

(*iv*) जून, 1981 के बाद या जून, 1981 से सितम्बर, 1981 तक के बीच में विशेष संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे बक्सर, मोकामा में एक अभियान चलाया गया था जिसमें 100 व्यक्तियों को चेन खींचने के अपराध तथा 6,397 को बिना टिकट के यात्रा करने के कारण पकड़ा गया था ऐसा अभियान पुनः करने का आदेश दे दिया गया है ।